भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3608
17/12/2024 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों को समर्थन देने की पहल
3608. डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) बाजार की अस्थिरता को कम करने और किसानों को मूल्य शोषण से बचाने के लिए प्रभावी बाजार लिंकेज और तत्क्षण मूल्य की जानकारी प्रदान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार किस प्रकार कृषि पर जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का समाधान करती है, और फसल की क्षति और पशुधन मृत्यु दर को कम करने वाली सहायता प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विस्तार सेवाओं, आधुनिक प्रौद्योगिकियों और वैज्ञानिक अनुसंधान तक उनकी पहुंच में सुधार के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा किसानों की चुनौतियों और आवश्यकताओँ के प्रति नीतियों को अधिक संवेदनशील बनाने, नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाया जाना सुनिश्चित करने वाली योजना का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) किसानों को नवीन और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षण, ज्ञान प्रसार और संवहनीय प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) सरकार, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त करने, वैकल्पिक विपणन चैनलों का सृजन करने और बाजार की अस्थिरता को कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। इन उपायों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन योजना, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष बाजार पहुंच, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत मूल्य समर्थन शामिल हैं।

आईएसएएम की एक उप-योजना, बाजार अनुसंधान और सूचना नेटवर्क (एमआरआईएम), कृषि जिंसों की कीमतों और आवक पर डेली अपडेट प्रदान करती है। इस योजना में 3,771 मार्केट यार्ड शामिल हैं जो 300 से अधिक जिंसों की ट्रैकिंग करते हैं। यह जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एग्मार्कनेट पोर्टल, ई-एनएएम पोर्टल, किसान सुविधा आदि के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

(ख) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) कृषि को बदलती जलवायु के प्रति सहिष्णु बनाने के लिए कार्यनीतियाँ विकसित और कार्यान्वित करता है। एनएमएसए के तहत, पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना, सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करती है और वर्षा सिंचित आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना, उत्पादकता में वृद्धि और जलवायु परिवर्तनशीलता के जोखिम को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर बल देती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी जलवायु सहिष्णुता में वृद्धि करने हेतु योगदान देते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के साथ-साथ मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) फसल हानि की स्थिति के विरूद्ध एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है। ये योजनाएं प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान या क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

(ग) से (ङ) "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है, जो 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 739 जिलों में कार्यान्वित की गई है। यह योजना किसानों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट आदि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रदान करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से किसानों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों का प्रसार करती है। केवीके कृषि क्षेत्र पर प्रशिक्षण और स्थान विशिष्ट तकनीक और कृषि प्रणालियों का भी समर्थन करते हैं।

सरकार समय-समय पर किसानों और अन्य हितधारकों के साथ कृषि नीति निर्माण का कार्य करती है।

******